WESTERN U.P.
CHAMBER OF COMMERCE
& INDUSTRY

व्यापार एवं उद्योग की समृद्धि के लिये

MASIK PATRIKA
AUGUST 2025

:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**

  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**

  Shri G.C. Sharma

- **Jr. Vice President**

  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee

- **Chairman**

  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

  Shri Sushil Jain

- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- आम लोगों को तीन बड़ी राहत... मृतक ग्राहकों के खातों तक परिवार की होगी आसान पहुंच, हर व्यक्ति तक पहुंचेगी बैंकिंग-निवेश सुविधा
- चेक जमा करने के कुछ ही घंटे में खाते में आ जाएगा पैसा
- 15 दिनों में निपटाए जाएं मृत ग्राहकों से जुड़े दावे
- अब घरौनी को मिलेगी कानूनी मान्यता, बैंक दे सकेंगे ऋण
- जिन स्वीकृत कालोनियों में सेटबैक चिह्नित उन्हें नहीं मिलेगा अतिरिक्त छूट का लाभ
- 47 साल बाद सभी जिलों को मिलेंगे नए राजकीय औद्योगिक पार्क
- बिल्डर अब डिजिटली करा सकेंगे रेरा में परियोजनाओं का पंजीकरण
- पैन से जुड़ी सभी सुविधाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी
- बड़ा फैसला : अब एक दिन में मिल जाएगा भारत का वीजा
- मशीनों और टूल्स की तलाश खत्म करेगा.. यूपी मार्ट पोर्टल
- प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में दो फीसदी छूट
- सितंबर से पंजीकृत डाक की जगह लेगी स्पीड पोस्ट
- इनकम टैक्स बिल केवल तीन मिनट में लोकसभा से हो गया पारित
- आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन होने पर ही खाते में रिफंड आएगा
- ईपीएफओ ने केवाईसी प्रक्रिया आसान बनाई
- प्रदेश में आसान होगा व्यापार, श्रमिक हित भी होंगे सुरक्षित
- गांवों में औद्योगिक नक्शा उद्योग विभाग मंजूर करेगा
- UPI transactions up 3% in August to 20 bn as festive demand lifts usage
- GST 2.0 new rates announced: Govt plans two-slab tax regime – what gets cheaper and what gets costlier
- Employment in industries rises 5.92 pc to 1.84 cr in FY24: Govt survey
- Goods exports to China rise 20% to $5.8 billion during April-July
- Govt To Launch MSE TEAM Initiative To Boost MSME E-Commerce Integration
- India's GDP seen to have grown at about 6.5% in Q1FY26
- US Tariffs From August 27 Threaten 70% Collapse In India's Labour-Intensive Exports: GTRI

आम लोगों को तीन बड़ी राहत... मृतक ग्राहकों के खातों तक परिवार की होगी आसान पहुंच, हर व्यक्ति तक पहुंचेगी बैंकिंग-निवेश सुविधा

आरबीआई ने आम लोगों को राहत देने के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके तहत, अब मृतक ग्राहक के खातों तक उसके परिवार की पहुंच आसान होगी। खुदरा निवेशक भी आसानी से बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, जनधन खाताधारकों का केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक चलकर उनके पास पहुंचेंगे। इन घोषणाओं का मकसद हर व्यक्ति तक बैंकिंग व निवेश सुविधाएं पहुंचाना है।

खाताधारक की मृत्यु पर दावा निपटान के लिए समान प्रक्रिया

किसी खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में अब एक समान प्रक्रिया होगी। इसमें सभी बैंकों से एक जैसे ही कागजात मांगे जाएंगे। दावा करने की एक तय समय सीमा होगी। इससे मृतक खाताधारक के परिवार को जल्द और आसानी से बैंक खाते या लॉकर में रखी चीजों तक पहुंच मिल सकेगी। आरबीआई ने कहा, बैंकों को नॉमिनी व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारियों के किए गए दावों के शीघ्र और परेशानी मुक्त निपटान के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। वर्तमान में विभिन्न बैंकों में ये प्रक्रियाएं अलग-अलग होती हैं।

सरकारी बॉन्ड में एसआईपी की शुरुआत: अब छोटे निवेशक भी एसआईपी के जरिये ट्रेजरी बिल्स यानी सरकार के अल्पकालिक बॉन्ड में मासिक निवेश कर सकेंगे। इससे आम लोगों को सरकारी निवेश के सुरक्षित विकल्प मिलेंगे। आरबीआई ने 2021 में रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की थी। इसमें आम लोग सीधे आरबीआई से सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं।

जनधन खातों का दोबारा केवाईसी

प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान लाखों लोगों ने बैंक खाते खुलवाए। इनमें से ज्यादातर
खातों को दोबारा केवाईसी (री-केवाईसी) की जरूरत है। इसके लिए एक जुलाई से पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। यहां पर ग्राहक दोबारा केवाईसी करा सकेंगे। यानी सीधे सीधे गांव-देहात में ही बैंक की सुविधा मिलेगी। इस कैंप में नए बैंक खाते भी खोले जाएंगे। लोगों को लघु ऋण (माइक्रोफाइनेंस), और पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ग्राहकों की शिकायतों को भी मौके पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी

चेक जमा करने के कुछ ही घंटे में खाते में आ जाएगा पैसा

आने वाले समय में बैंक में चेक जमा करने के कुछ ही घंटों के भीतर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इसके लिए आरबीआई कई नई व्यवस्था शुरू कर रहा है। वर्तमान में चेक जमा करने के बाद खाते में पैसे आने में दो दिन तक का समय लगता है।

आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, चेक समाशोधन की दक्षता में सुधार लाने, प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) को बैच में प्रसंस्करण की वर्तमान व्यवस्था को ऑन-रियलाइजेशन सेटलमेंट यानी वास्तविक समय पर चेक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने के साथ निरंतर समाशोधन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, चेक को कुछ ही घंटों में स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा, जिससे यह बैंक कार्यदिवस के दौरान निरंतर आधार पर किया जाएगा। समाशोधन चक्र वर्तमान टी प्लस 1 यानी चेक जमा करने के बाद एक दिन से घटकर कुछ घंटे रह जाएगा। आरबीआई ने कहा, सीटीएस को दो चरणों में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान में बदलने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण चार अक्तूबर, 2025 को और दूसरा चरण तीन जनवरी, 2026 को लागू किया जाएगा। सुबह 10:00 बजे से शाम चार बजे तक एक ही प्रस्तुति सत्र होगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को चेक समाशोधन प्रक्रिया में बदलावों के बारे में बताएं

15 दिनों में निपटाए जाएं मृत ग्राहकों से जुड़े दावे

आरबीआइ ने बैंको को दिया निर्देश, निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाएगी एसओपी

आरबीआइ ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लाकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामिनी को मुआवजा देने के लिए फार्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

आरबीआइ ने मृत बैंक ग्राहकों के खातों और लाकर में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों के निपटाने के लिए मानक प्रक्रियाएं (एसओपी) लाने का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद निपटान को और अधिक सुविधाजनक और सरल बनाना है। इस दिशा में, केंद्रीय बैंक ने सर्कुलर का मसौदा भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों के मृत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान) निर्देश, 2025 जारी किया है

मसौदे में कहा गया, 'बैंक दावों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए मानकीकृत प्रपत्रों का उपयोग करेगा।' इसमें दावों के निपटान में देरी होने पर मुआवजे का भी कि यदि जमा खातों या लाकर के लिए किसी व्यक्ति को नामित किया गया है, तो उसे पहचान और पते के सत्यापन के लिए दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत ग्राहक) और नामिनी का वैध दस्तावेज जमा करना होगा। मसौदे के अनुसार, बैंक को उन जमा खातों में दावों के निपटान के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जहां मृतक जमाकर्ता ने नामिनी नहीं बनाया है ताकि दावेदार या उत्तराधिकारी को असुविधा से बचाया जा सके। ऐसे दावों के निपटान के लिए बैंक को आधार पर न्यूनतम 15 लाख सीमा तय करनी चाहिए।

समयसीमा में निपटान नहीं करने पर बताना होगा कारण

मसौदे में कहा गया है कि यदि किसी जमा-संबंधी दावे का निपटान निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो बैंक को दावेदार को देरी के कारणों से अवगत कराना होगा। इसके अलावा, बैंक के कारण होने वाली देरी के मामलों में, बैंक द्वारा दावेदारों को ब्याज के रूप में मुआवजा दिया जाएगा। यह विलंब की अवधि के लिए देय निपटान राशि पर प्रचलित बैंक दर और चार प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। देय राशि और प्रचलित बैंक दर की गणना दावेदार से प्राप्त होने वाले आवश्यक दस्तावेज के दिन से की जाएगी।

अब घरौनी को मिलेगी कानूनी मान्यता, बैंक दे सकेंगे ऋण

घरौनी को कानूनी मान्यता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्तुत किए गए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई है। इससे घरौनी को लेकर वरासत व नामांतरण के मामलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा सकेगा। साथ ही घर बनाने के लिए बैंकों से ऋण लेने की सुविधा भी ग्रामीणों को मिलेगी। घर बेचने पर राजस्व रिकार्ड में खरीदने वाले का नाम आसानी से दर्ज किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत आठ अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली बनाई गई थी। इसके बाद राजस्व विभाग ने प्रदेश के 90,573 गांवों को घरौनी बनाने के लिए चिह्नित किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को इन गांवों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ड्रोन सर्वेक्षण के बाद सभी गांवों व घरों का नक्शा तैयार किया जा रहा है। ग्रामीणों को नक्शा तैयार करके उपलब्ध कराया जाता है। अगर किसी ग्रामीण को नक्शे को लेकर कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसी नक्शे के आधार पर गांव में स्थित सभी घरों की घरौनी तैयार की जा रही है। अभी तक 68 हजार से ज्यादा गांवों में 1,06,46,834 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। ग्रामीणों को 1,01,31,232 घरानियों का वितरण भी किया जा चुका है। योजना को लेकर ग्रामीणों में इस बात की नाराजगी थी कि घरौनी तो दी जा रही है, लेकिन कानूनी मान्यता न होने के कारण यह केवल कागज़ी दस्तावेज है। न तो बैंकों से ऋण लिया जा सकता है और न ही वरासत व नामांतरण की सुविधा इसके आधार पर मिल रही थी। घरौनी के आधार पर आबादी के भीतर स्थित

कैबिनेट के अन्य फैसले

- अब प्रदेश के होनहार ब्रिटेन में करेंगे पीजी की पढ़ाई
- 52 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे 2.60 करोड़ तिरंगे
- 62 जिलों में खराब पड़े 1750 राजकीय नलकूप होंगे ठीक
- 10 प्रतिशत धनराशि ही पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय-बैठकों पर किया जा सकेगा खर्च
- केजीएमयू कार्य परिषद में अब एक-एक ही एससी/एसटी और ओबीसी सदस्य
- पंचायती राज व नगरीय निकायों को जल्द मिलेंगे 15 हजार करोड़
- विकास कार्यों के लिए 15 हजार
- करोड़ रुपये और कर्ज ले सकेगी सरकार।

वरासत, नामांतरण व घरों की बिक्री को लेकर ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक को दी मंजूरी

अविवादित भूमि पर ग्रामीणों को मालिकाना हक भी नहीं मिल रहा था। चूंकि अभी तक घरौनी को लेकर केवल नियमावली थी, इसलिए राजस्व विभाग ने बीते दिनों शासन को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 का प्रस्ताव भेजा था।

जिन स्वीकृत कालोनियों में सेटबैक चिह्नित उन्हें नहीं मिलेगा अतिरिक्त छूट का लाभ

मेडा उपाध्यक्ष ने विकासकर्ताओं के साथ की बैठक, शासन की समिति को भेजी जाएंगी आपत्ति

उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 लागू हो गई है। इसके तहत विभिन्न छूट का लाभ भी मिलने लगा है। लेकिन विभिन्न कालोनियों में रहने वाले बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें सेटबैंक के लिए घोषित अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। अतिरिक्त छूट का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनकी कालोनी स्वीकृत तो है लेकिन सेटबैक चिह्नित नहीं था। जिनकी कालोनी के लेआउट में सेटबैक चिह्नित है, उन्हें नए भवन उपविधि के छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर विकासकर्ताओं ने विरोध जताया है। कहा कि यदि सभी को सेटबैक की छूट का लाभ समान रूप से नहीं मिलेगा तो लाखों परिवार इस छूट से वंचित रह जाएंगे। विकासकर्ताओं की इस आपत्ति को मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की ओर से शासन को भेजा जाएगा, क्योंकि शासन ने ही कमियों, सुधार व आपत्तियों को आमंत्रित किया है। उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के संबंध में मेडा सभागार में उपाध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी। इसमें मेरठ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी व बिल्डरों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। मेडा की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया गया। एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन ने सवाल उठाया कि जिन विकाकर्ताओं ने नियम का पालन करते हुए लेआउट स्वीकृत कराए यदि उनमें ही आवंटी वंचित रह जाएंगे तो इससे गलत संदेश जाएगा। इससे लाखों परिवार वंचित रह जाएंगे। निजी विकासकर्ताओं की 368 कालोनियां स्वीकृत हैं, यदि इन्हें लाभ नहीं मिलेगा तो फिर भवन उपविधि अधूरी मानी जाएगी। दरअसल, जिस समय मेडा की कालोनियां विकसित हुई थीं उस समय लेआउट में सेटबैंक चिह्नीकरण का नियम नहीं था। उसके कुछ वर्ष बाद लेआउट में सेटबैक का नियम शामिल हुआ। उसके बाद जिन कालोनियों का लेआउट स्वीकृत कराया गया उनमें सेटबैक चिह्नित किया गया। विकासकर्ता कमल ठाकुर ने कहा कि शमन मानचित्रों के आवेदन शीघ्रता से निस्तारित किए जाएं। अजंता डेवलपर्स के निदेशक ने कहा कि तमाम नियमों को सरल किया गया है। इसी में यह भी जोड़ा जाए कि जिन कालोनियों के लेआउट स्वीकृत हैं, उनके प्लाट बंधक न रखे जाएं। उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि इन सुझावों को शासन की समिति के पास भेजा जाएगा। डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कालोनियों में सेटबैक छूट का लाभवर्तमान में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शासन विकासकर्ताओं के सुझा स्वीकार कर लेगा। मुख्य नगर नियोजक भी उपस्थित रहे।

यह होता है सेटबैक

सेटबैक का सीधा अर्थ है किसी भूखंड (प्लाट) की सीमा रेखा और उस पर बनने वाली इमारत के बीच की न्यूनतम खुली दूरी। यह दूरी चारों ओर सामने (फट), पीछे (रियर), दाएं-बाएं (साइड) में तय की जाती है। यदि कोई प्लाट या भवन दो या उससे अधिक सड़कों पर है तो उसमें फट उसे माना जाएगा, जिस सड़क की चौड़ाई अधिक होगी।

300 वर्ग मीटर तक के प्लाटों पर खूब मिल रही है सेटबैक की छूट

आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के 300 वर्ग मीटर तक के भवन को सामान्य शर्तों के साथ सामने के अलावा बाकी तीनों सेट बैंक से छूट दी गई है। 150 वर्ग मीटर तक एकल आवास के लिए सिर्फ अग्रभाग यानी फ्रंट पर एक मीटर का सेटबैक रखना होगा। बाकी तीनों सेटबैंक की छूट दे दी गई है। 150 से 300 वर्ग मीटर तक प्लाट है तो आगे का सेटबैक तीन मीटर और पीछे का सेटबैक 1.5 मीटर रखना होगा। इसमें बाकी दोनों तरफ सेटबैक की छूट दी गई है। इसी तरह से व्यावसायिक में भी छूट दी गई है। यदि 100 वर्ग मीटर तक प्लाट है तो फ्रंट सेटबैंक एक मीटर होगा और बाकी सेटबैंक की छूट रहेगी। 100 से 300 वर्ग मीटर तक प्लाट है तो फट सेटबैक तीन मीटर रखना होगा, बाकी तीनों सेटबैंक से छूट रहेगी। औद्योगिक भवनों की स्थिति में 150 वर्ग मीटर में फ्रंट सेटबैंक दो मीटर रखना होगा, जबकि बाकी तीनों सेटबैक से छूट मिलेगी। 150 से अधिक व 300 वर्ग मीटर से कम के प्लाट में फ्रंट सेटबैंक दो मीटर रखना होगा, पीछे का सेटबैंक एक मीटर रहेगा जबकि बाकी दोनों सेटबैंक से छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट पहले से स्वीकृत कालोनियों को नहीं मिल पाएगी।

47 साल बाद सभी जिलों को मिलेंगे नए राजकीय औद्योगिक पार्क

नई नीति को कैबिनेट की मंजूरी, भूमाफिया की जमीनों का भी होगा इस्तेमाल, उद्यमियों को मिलेंगे सस्ते भूखंड

प्रदेश में 47 साल बाद हर जिले को नए राजकीय औद्योगिक आस्थान मिलेंगे। यहां छोटे उद्यमियों को सस्ते भूखंड मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों में निशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी और एमएसएमई विभाग क्षेत्र को विकसित कर उद्यमियों को कम दाम पर जमीन देगा। औद्योगिक आस्थान के लिए जमीनें ग्राम समाज, निष्प्रयोज्य और भूमाफियाओं की भी होंगी। इस संबंध में कैबिनेट में पेश उत्तर प्रदेश लघु उद्योग औद्योगिक आस्थान नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
एमएसएमई मंत्री ने बताया कि 1978 के बाद से नए औद्योगिक आस्थान नहीं बने थे। अब नए आस्थानों की जरूरत महसूस की गई। नई नीति के तहत नए आस्थानों में जमीनों का आवंटन ई नीलामी से होगा। उद्यमी भूखंड की कीमत की 10% मार्जिन मनी देकर ई नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। आवंटन में स्थानीय छोटे उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। भू उपयोग परिवर्तन को मंजूरी शासन स्तर पर दी जाएगी। एससी-एसटी को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लीज रेंट समय पर जमा न करने पर 18 फीसदी ब्याज लिया जाएगा। अभी 12 जिलों में नए राजकीय औद्योगिक आस्थान के प्रस्ताव आ चुके हैं। अलीगढ़ और कानपुर देहात में दो आस्थान लगभग तैयार हैं।

पैन से जुड़ी सभी सुविधाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी

आयकर विभाग ने पैन 2.0 परियोजना को लागू करने के लिए आईटी कंपनी एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड का चयन किया है। परियोजना अगले 18 महीनों में लागू हो जाएगी। इसके जरिए पैन से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। इनमें कई सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी। विभाग के अधिकारी को यह जानकारी देते हुए बताया कि पैन 2.0 परियोजना पैन और टैन से संबंधित मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करेगी। इसमें आवंटन, अपडेट/सुधार, आधार-पैन को जोड़ना, फिर से जारी करने के अनुरोध, ऑनलाइन पैन सत्यापन आदि शामिल हैं। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत पैन 2.0 प्रणाली के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। परियोजना 18 माह में लागू होगी। कंपनी परियोजना के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में काम करेगी।

बिल्डर अब डिजिटली करा सकेंगे रेरा में परियोजनाओं का पंजीकरण

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परियोजना पंजीकरण का विस्तृत यूजर मैनुअल जारी किया है। इसमें ऑनलाइन परियोजना पंजीकरण की विस्तृत और कठिन लगने वाली प्रक्रिया को सरल चरणों में समझाया गया है। बिल्डर अब डिजिटली रेरा में परियोजनाओं का पंजीकरण आसानी से करा सकेंगे। परियोजना पंजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रोमोटर सभी जरूरी और निर्धारित दस्तावेजों को आवेदन के साथ जरूर संलग्न करें। अनिवार्य दस्तावेजों में भू-स्वत्व के अभिलेख, विकास अनुबंध, स्वीकृत मानचित्र, परियोजना से संबंधित विवरण, बैंक खाता और अन्य वित्तीय जानकारियां शामिल हैं। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है जिसमें प्रक्रियाओं को कैशलेस, पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य बनाना शामिल हैं। इस से प्रमोटर्स को हर तरह से पूरे और गलतीरहित आवेदन दाखिल करने में मदद मिलेगी। प्रस्करण का समय कम होगा और समय से पैसे लिए जा सकेंगे

बड़ा फैसला : अब एक दिन में मिल जाएगा भारत का वीजा

• केंद्र सरकार ने वीजा जारी करने के लिए नियामकीय छूट की शुरुआत की
• विदेशियों की निगरानी को मजबूत करने के लिए दो नए पोर्टल की शुरुआत

केंद्र सरकार ने वीजा जारी करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन में वीजा जारी करने के लिए नियामकीय छूट शुरू की है। केंद्र के नए फैसले के अनुसार, अब सभी दस्तावेज सही और उचित तरीके से जमा करने पर एक दिन में भारत का वीजा मिल सकता है।
इसके साथ केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों और वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों की निगरानी को मजबूत करने के लिए दो नए पोर्टल जिला पुलिस माड्यूल (डीपीएम) और विदेशी पहचान पोर्टल (एफआइपी) शुरू किए गए है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने बुधवार को विदेशी प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक में वीजा सरलीकरण, आव्रजन जांच चौकियों के आधुनिकीकरण और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित नीतियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने मंत्री को वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।

मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 26 से घटाकर 22 कर दी गई है और उप-श्रेणियों की संख्या 104 से घटाकर कर दी गई है। इसके अलावा, प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण वीजा जारी करने में लगने वाला औसत समय कई हफ्ते से घटकर एक दिन से भी कम रह गया है। आव्रजन जांच चौकियों के आधुनिकीकरण के तहत, स्वचालित यात्रा दस्तावेज स्कैनिंग और बायोमेट्रिक नामांकन की सुविधाएं शुरू की गई हैं। 2014 में आइसीपी की संख्या 82 से बढ़कर वर्तमान में 114 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि फास्ट ट्रैक आव्रजन से संबंधित ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोल्लाकाता, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर लागू किया जा रहा है। यहां पूर्व सत्यापित यात्री केवल एक मिनट में इमिग्रेशन मंजूरी ले सकते हैं। सुविधा जल्द ही कोझीकोड, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, अमृतसर, तिरुचिरापल्ली, नोएडा और नवी मुंबई हवाई अड्डों पर भी शुरू की जाएगी।

मशीनों और टूल्स की तलाश खत्म करेगा.. यूपी मार्ट पोर्टल

उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों के लिए अब मशीनरी की तलाश और सही सेवा प्रदाताओं तक पहुंच बनाने की मुश्किल 'यूपी मार्ट पोर्टल' दूर करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए जरूरी मशीनरी की पहुंच आसान बनाना है। सीएम युवा योजना के नोडल अधिकारी और जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज सर्वेश्वर शुक्ला के अनुसार इस पोर्टल पर राज्य भर के मशीनरी सप्लायर, फ्रेंचाइज़ी ओनर, सर्विस प्रोवाइडर और तकनीकी विशेषज्ञ होंगे।

प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में दो फीसदी छूट

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में मिलने वाली राहत दो प्रतिशत से ज्यादा हो सकती है। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दरों में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के प्रस्ताव को आधार बनाकर दाखिल किए गए सुझाव पर बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने सभी बिजली कंपनियों से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 5 प्रतिशत तक राहत देने का विचार करने का सुझाव दिया है। पावर कॉरपोरेशन ने प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को दो प्रतिशत राहत देने का प्रस्ताव दिया है।

• केंद्र सरकार ने 5% तक राहत का दिया है सुझाव
• नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से मांगा है जवाब

इस आधार पर दिया गया है छूट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

• प्रीपेड उपभोक्ता बिल की राशि पहले ही जमा करते हैं, लिहाजा उससे बिजली कंपनियों को ब्याज मिलेगा
• बिल वसूली का झंझट खत्म होगा, लिहाजा मीटर रीडरों की आवश्यकता में कमी आएगी
• बिल बनाने वाले लोगों की मैनपावर में कमी होगी, इसलिए बिजली कंपनियों का खर्च कम होगा
•बिजली कंपनियों की राजस्व दक्षता में इजाफा होगा

बिजली की नई दरें तय करने के दौरान हुई सुनवाई में प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा राहत दिए जाने की मांग की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सभी बिजली कंपनियों में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सुझाव के आधार पर दो प्रतिशत का प्रस्ताव बढ़ाकर पांच प्रतिशत किए जाने की मांग रखी थी। अब जबकि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियामक आयोग नई दरें तय करने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसने सभी बिजली कंपनियों से इस पर जवाब मांगा है। सूत्र बताते हैं कि आयोग केंद्र सरकार के सुझाव के आधार पर इस राहत को बढ़ाने की मंशा रखता है। हालांकि, अंतिम फैसला बिजली कंपनियों और पावर कॉरपोरेशन का जवाब आने के बाद ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रीपेड मीटर को प्रोत्साहित करने के लिए राहत का सुझाव दिया है

33 लाख से ज्यादा प्रीपेड मीटर लग चुक

प्रदेश में 33 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहां रिवैप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत पोस्टपेड मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। अगले दो महीने के भीतर जब तक बिजली की नई दरें दरें तय होने की उम्मीद है तब तक यह आंकड़ा 60 लाख के पार जा सकता है।

सितंबर से पंजीकृत डाक की जगह लेगी स्पीड पोस्ट

डाक विभाग ने अपनी रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को एक सितंबर, 2025 से बंद करने का फैसला किया है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट के साथ मिला दिया जाएगा।

इस कदम से 50 साल से ज्यादा पुरानी पंजीकृत डाक सेवा इतिहास बन जाएगी। यह फैसला डाक विभाग की आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद कामकाज को और तेजी से चलाना है।

रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा खासकर गांवों और छोटे शहरों में रहने वालों के लिए सस्ता और भरोसेमंद विकल्प थी। इस सेवा की कीमत 25.96 रुपये से शुरू होती थी और हर अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 5 रुपये देने पड़ते थे। दूसरी तरफ, स्पीड पोस्ट की शुरुआती कीमत 50 ग्राम तक के लिए 41 रुपये है, जो रजिस्टर्ड पोस्ट से 20-25 फीसदी महंगी है। इस बदलाव से छोटे कारोबारियों, किसानों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुआ इस्तेमाल

रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2011-12 में जहां 244.4 मिलियन रजिस्टर्ड डाक भेजी गई थीं, वहीं 2019-20 में यह संख्या घटकर 184.6 मिलियन रह गई। डिजिटल कम्युनिकेशन के बढ़ने और प्राइवेट कूरियर व ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के चलते इसकी मांग घटी है। यह सेवा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी और बैंकों, यूनिवर्सिटी, कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के लिए भरोसेमंद थी। इसकी खासियत थी कि इसकी डिलीवरी का सबूत कोर्ट में भी मान्य होता था।

स्पीड पोस्ट अपनाने का निर्देश: पोस्टल विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों, कोर्ट, स्कूल-कॉलेज और बड़े पैमाने पर डाक सेवा इस्तेमाल करने वालों को एक सितंबर तक स्पीड पोस्ट पर पूरी तरह शिफ्ट होने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि स्पीड पोस्ट से डिलीवरी तेज होगी, ट्रैकिंग बेहतर होगी और कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी और यह पहले से ही लोगों के बीच लोकप्रिय है।

दोनों में अंतर : रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट का काम लगभग एक जैसा है। फर्क इतना है कि स्पीड पोस्ट तेज डिलीवरी के लिए होती है और रजिस्टर्ड पोस्ट सुरक्षित और ट्रैकिंग सुविधा के साथ। जो लोग पहले रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते थे, उन्हें एक सितंबर 2025 के बाद यह जरूर पूछना चाहिए कि उन्हें डिलीवरी का कौन सा प्रूफ मिलेगा क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट में रिसीवर के हस्ताक्षर और पार्सल की ट्रेसिंग दोनों की सुविधा होती थी

इनकम टैक्स बिल केवल तीन मिनट में लोकसभा से हो गया पारित

वित्त मंत्री ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया, जिसे सदन ने बिना किसी बहस के महज तीन मिनट में पारित कर दिया। अब यह बिल राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह बिल इनकम टैक्स कानून 1961 की जगह लेगा। अगले साल एक अप्रैल से नए कानून को लागू करने की योजना है। इस बिल को इस वर्ष फरवरी में प्रवर समिति पास भेजा गया था, जिसने इसमें 285 बदलावों का सुझाव दिया था, जिन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। आयकर विधेयक-2025 के नए संस्करण में लोकसभा समिति की 285 से अधिक सिफारिशों और विभिन्न हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया। इसके जरिए वेतनभोगियों, छोटे करदाताओं और कोरोबारियों की राहत दी गई है। इसमें कुछ पुराने प्रावधानों को फिर से जोड़ा गया है, जिसमें आयकर रिफंड से जुड़ा प्रावधान भी शामिल है।

नए आयकर विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव 'कर वर्ष' को लेकर हुआ है। वर्तमान में करदाताओं को आईटीआर भरते वक्त 'आकलन वर्ष' चुनना पड़ता है। यदि किसी करदाता ने वित्त वर्ष-24 के लिए कर चुकाया है तो रिटर्न आकलन वर्ष-25 के लिए भरना होगा। इसे लेकर कई करदाताओं में दुविधा होती थी कि कौन सा वर्ष चुनें। सरकार ने इस दुविधा को समाप्त करते हुए 'कर वर्ष' की व्यवस्था लागू कर दी। इसके तहत जिस साल कर चुकाया है, वही कर वर्ष चुनना होगा।

साथ ही विधेयक में टीडीएस रिफंड दावों का पुराना प्रावधान में लागू किया गया है। अब करदाताओं को अंतिम तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने के बाद भी रिफंड मिल सकेगा। फरवरी में पेश किए गए विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया था। इसे फिर से शामिल किया गया है।

संशोधित आयकर बिल में नए बदलाव

वेतनभोगियों के लिए

1. कर देनदारी न होने पर एडवांस जीरो टीजीएश सर्टिफिकेट की सुविधा मिलेगी
2. सभी कर छूट, कटौती और रिफंड प्रावधान स्पष्ट कर दिए गए हैं ताकि करदाता को अधिक आसानी हो।
3. धारा-87ए के तहत छूट सीमा अब ₹60,000 हो गई है। इसकी वजह से ₹12 लाख तक की कर योग्य आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा।
4. निजी पेंशन योजनाओं में एकमुश्त निकासी पर कर छूट मिलेगी। पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को इस राहत का फायदा मिलता था।

व्यवसाय, काराबोरियों और कंपनियों के लिए

1. इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड कटौती : पुराने ड्राफ्ट में हटाया गया प्रावधान वापस जोड़ा गया है, जिससे एक ही डिविडेंड पर बार-बार टैक्स लगने से बचाव होगा।
2. चंदे पर छूट : गैर-लाभकारी संगठनों व धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर टैक्स छूट जारी रहेगी।
3. टीडीएस/टीसीएस पर स्पष्टता : शून्य और कम कटौती सर्टिफिकेट का जिक्र फिर से जोड़ा गया, ताकि विवाद न हो।
4. एमएसएमई परिभाषा : सूक्ष्म और छोटे उद्योगों की परिभाषा एमएसएमई कानून- 2006 के मुताबिक की गई।

घर-मकान वालों के लिए

1. अस्थायी रूप से खाली पड़ी व्यापारिक इमारत या घरों पर 'नॉशनल रेंट टैक्स' नहीं लगेगा।
2. निगम कर घटाने के बाद 30% मानक कटौती और किराए पर दिए मकान पर ब्याज कटौती जारी रहेगी। 3. इमारत और उससे जुड़े जमीन का किराया 'Income from House Property' हेड के तहत टैक्स होगा, जब तक व्यवसाय इस्तेमाल न हो।
4. 'इन नॉर्मल कोर्स' शब्द हटाया गया। अब टैक्स वास्तविक किराया या आंके गए किराये में जो ज्यादा होगा, उस पर लगेगा।

बिल से जुड़ी अन्य बातें

1. नया बिल पुराने 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा।
2. इसमें सिर्फ 2.6 लाख शब्द और 536 धाराएं हैं, जबकि पुराने कानून में 5.12 लाख शब्द और 819 धाराएं थीं।

जानें विधेयक से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब

▪ **नए बिल का क्या असर होगा?**

इस विधेयक से अभी लागू किसी भीआयकर नियम में बदलाव नहीं होगा। जो नियम वित्त अधिनियम-2025 तक बदले गए हैं, वे वैसे ही रहेंगे। यानी मौजूदा कर स्लैब या आयकर नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए बिल इसका मकसद 1961 के आयकर कानून को हटाकर एक आसान और समझने योग्य कानून लाना है, ताकि लोग आसानी से टैक्स नियमों का पालन कर सकें।

▪ **कर वर्ष का क्या मतलब है?**

अब सिर्फ 'कर वर्ष' लागू रहेगा, जिससे जिस वित्त वर्ष में आय अर्जित होगी, उसी साल कर देना होगा। पहले आकलन वर्ष और कर वर्ष लागू होते थे, जिससे असमंजस बढ़ता था उदाहरण के लिए वित्त वर्ष-25 में जो आय हुई, उसका रिटर्न भरते वक्त आकलन वर्ष-26 का चयन करना पड़ता। अव 'कर वर्ष-25' काही चयन करना होगा।

▪ **खुद रहने वाली संपत्ति का क्या?**

अगर मालिक खुद उसमें रहता है या किसी कारण से उसमें रह नहीं पाता, तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। लेकिन यह सुविधा सिर्फ दो घरों तक मिलेगी, जिन्हें करदाता खुद चुनेगा।

अगर घर का कोई हिस्सा भी किराये पर दिया गया है, या मालिक को उससे कोई फायदा मिला है, तो यह छूट नहीं मिलेगीं।

▪ **कृषि आय का क्या मतलब है?**

इसका मतलब है भारत में स्थित उस जमीन से मिलने वाला किराया या आमदनी है, जो कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही हो। नर्सरी में पौधे या पौध तैयार करने से होने वाली आमदनी भी कृषि आय मानी जाएगी।

▪ **इमारत से होने वाली आमदनी भी कृषि आय में गिनी जाएगी?**

हां, अगर वह इमारत खेती वाली जमीन पर या उसके पास हो और उसका इस्तेमाल किसान के रहने, गोदाम य खेती से जुड़े काम में हो।

आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन होने पर ही खाते में रिफंड आएगा

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल हो जाने के बाद करदाता अपने रिफंड की प्रतीक्षा करते हैं। खासकर तब जब उन्होंने अधिक आयकर का भुगतान किया हो। इसलिए, ऐसे करदाताओं के लिए हमेशा एक बदर सवाल रहता है कि रिफंड कब तक मिलेगा। विभाग के जारी दिशा-निर्देशों के तहत, रिटर्न दाखिल होने के तुरंत बाद ही रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। यदि उसका ई-सत्यापन तुरंत हो जाता है तो रिफंड आने में वक्त नहीं लगता है। हालांकि, कुछ मामलों में रिफंड अटक सकता है। खासकर ऐसे मामले जहां रिर्टन जमा करने के 30 दिन के भीतर ई-सत्यापन न हुआ हो या बैंक विवरण गलत हो।

रिफंड में कितना समय लगता है: यदि करदाता ने आयकर रिटर्न सफलतापूर्वक दाखिल किया है और ई-सत्यापन भी कर लिया है, तो रिफंड प्रक्रिया शुरू होती है। आयकर विभाग के अनुसार, आमतौर पर ई-सत्यापन के बाद रिफंड प्रक्रिया शुरू करने में 7 से 21 कार्यदिवस लगते हैं। इसके बाद रिफंड करदाता के बैंक खाते में जमा होने में 4 से 5 सप्ताह का समय लगता है। हालांकि कुछ मामलों में यह जल्दी या थोड़ी देर से भी हो सकता है।

यदि करदाता का बैंक खाता पहले से ही सत्यापित है तो रिफंड की स्थिति को तेजी से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन सत्यापन में देरी, बैंक खाते के मिलान में गड़बड़ी, या गलत जानकारी के कारण रिफंड प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। आयकर विभाग यह भी सलाह देता है कि यदि 4-5 सप्ताह में रिफंड नहीं मिलता, तो करदाताओं को गड़बड़ी जांचनी चाहिए। विभाग की ओर से गड़बड़ी कर ई-मेल भी भेना नाता है, उसकी भी जांच करनी चाहिए।

देरी होने पर क्या करें: यदि करदाता को लग रहा है कि रिफंड में अनावश्यक देरी हो रही है, तो यह आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना बेहद जरुरी है कि आपका बैंक खाता प्री वैलिडेटेड हो, ताकि रिफंड की राशि सीधे उसी खाते में कड़िट की जा सके बिना किसी रुकावट के। ये छोटे-छोटे कदम आपके रिफंड प्रोसेस को तेज और आसान बना सकते हैं।

रिटर्न में अनियमितता से रिफंड प्रक्रिया में हो सकती है देरी: विभाग के अनुसार, यदि रिटर्न में किसी तरह की अनियमितता है तो फिर रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है। उसकी फिर से जांच होगी और उसे सही पाए जाने पर डॉ रिफंड कर पैसा जारी किया जाएगा। करदाता आयकर विभाग के पोर्टल पर श्री रिफंड का स्थिति जांच सकते हैं

क्या है आयकर रिफंड?

करदाता जब किसी वित्त वर्ष में अपनी कर देनदारी से अधिक टैक्स भर देता है तो आयकर विभाग चुकाई गई अतिरिक्त रकम को वापस कर देता है। इसे ही रिफंड कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर वित्त वर्ष 2023-24 में करदाता की कर देनदारी दो लाख रुपये बन रही है और उसने पहले ही 2.30 लाख रुपये का टैक्स भुगतान कर दिया है तो उसे 30,000 रुपये का रिफंड मिलेगा।

रिफंड प्रक्रिया के मुख्य चरण

1. रिटर्न दाखिल करना: सबसे पहला कदम है अपना आईटीआर सही तरीके से दाखिल करना।

2. ई-सत्यापन : रिटर्न भरने के 30 दिनों के भीतर इसे ई-प्रमाणित करना जरूरी है। अगर समय पर ई-प्रमाणीकरण नहीं हुआ, तो रिटर्न अमान्य हो सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है।

3. रिफंड प्रोसेसिंग : ई-प्रमाणीकरण के बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न की जांच करता है और रिफंड की प्रक्रिया शुरू करता है।

4. रिफंड जारी करना: सभी विवरण सही होने पर रिफंड आपके बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है।

रिफंड की स्थिति ऐसे जांचें

❑ आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। । यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें

❑ माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें।

❑ अब पावती संख्या पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।

रिफंड में देरी के प्रमुख कारण

आधार-पैन लिंकिंग में गड़बड़ी

यदि आधार और पैन कार्ड एक-दूसरे से लिंक नहीं हैं या उनमें कोई असंगति है, तो रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है। यह सुनिश्चित करें कि आपका पैन और आधार सही तरीके से लिंक हैं।

गलत बैंक खाता विवरण

आयकर रिटर्न में दिए गए बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड या खाता प्रकार में कोई गलती रिफंड के समय में देरी का कारण बन सकती है। इसलिए, इन विवरणों को सही और अद्यतन रखें

ई-सत्यापन न करना

रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन न करने से रिटर्न अमान्य हो सकता है, जिससे रिफंड में देरी होती है। ई-प्रमाणीकरण के लिए आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या ईवीसी का उपयोग किया जा सकता है।

रिटर्न में त्रुटियां

रिटर्न में गलत जानकारी, जैसे आय की गलत घोषणा, टैक्स की गलत गणना या दस्तावेज़ों की कमी, रिफंड में देरी का कारण बन सकती है। रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी विवरण पुनः जांच लें।

फॉर्म 26एएस और आईटीआर में असंगति

यदि आपके फॉर्म 26एएस और आयकर रिटर्न में कोई असंगति है, जैसे टीडीएस की गलत जानकारी, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है, जिससे रिफंड में देरी होती है।

अगर रिफंड दावा खारिज हो जाए

- आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें। यहां सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और रिफंड रीइश्यू विकल्प को चुनें।
- इसके तहत दिए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करें (यह टैब तभी सक्रिय होगा अगर करदाता का रिफंड दावा खारिज हो गया है)
- अब क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट विकल्प का चयन करें। बॉक्स को टिक करें और पावती संख्या को प्रमाणित करें। फिर कंटीन्यू बटन को दबाएं।
- बैंक के नाम को जांचें, जिसमें रिफंड का पैसा चाहते हैं। बॉक्स को टिक करें और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। रिफंड का पैसा केवल सत्यापित बैंक खाते में ही आएगा।
- करदाता को अपने मौजूदा बैंक खाता संख्या और ब्रांच के आईएफएससी कोड को देना होगा। आधार ओटीपी के साथ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ई-वेरिफाई करें।
- इसके बाद करदाता एक संदेश दिखेगा। जिसमें लिखा होगा सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके साथ ट्रांजेक्शन आईडी भी होगी। व्यू रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर इसकी स्थिति जांच सकते हैं।

किस आईटीआर के लिए कितना समय

आईटीआर-1
यह फॉर्म जमा करने वालों को 10 से 15 के भीतर रिफंड मिल जाता है। पिछले साल जिन करदाताओं ने फॉर्म 16 के आधार पर रिटर्न जमा किया था, उनके रिटर्न के जांच प्रक्रिया 10 के भीतर पूरी हो गई थी।

आईटीआर-2
यह फॉर्म जमा करने के बाद रिफंड आने में करीब 20 से 45 दिन का समय लग जाता है। हालांकि, कई बार इसमें विभिन्न कारणों से देरी भी होती है।

आईटीआर-3
इसका रिफंड आने में लगभग दो महीने का समय लगता है। चूंकि इस रिटर्न फॉर्म में व्यापार आय सहित कई प्रकार की जानकारियां शामिल होती हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जाती है। इसमें समय लगता है।

अपने बैंक खाते की वैधता ऐसे जांचें

पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले incometax.gov.in लॉगिन करना होगा।
माई फाइल पर जाएं: लॉगिन करने के बद 'My Profile'>> My Bank Account' पर जाएं।
बैंक खाता जोड़े: 'Add Bank Account पर दिल करें।
बैंक विवरण भरे: खुलने वाली नई विंडो में अपने बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
खाता प्रकार और धारक चुनें: खाता प्रकार जैसे बक्त या चालू खाता और बारक प्रकार व्यक्ति या कंपनी) का चयन करें।
आईएफएससी कोड दर्ज करें: अपने बैंक शाखा के आईएफएससी कोड दर्ज करें।
सत्यापन करें: अंत में Validate पर क्लिक करें ताकि आपका खाता बैंक से सत्यापित हो सके।

ईपीएफओ ने केवाईसी प्रक्रिया आसान बनाई

नियोक्ता के पोर्टल पर लिंक कर सकते हैं आधार

राहत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब नियोक्ता पोर्टल पर नो योर कस्टमर (केवीईसी) सेक्शन में जाकर आधार को लिंक कर सकते हैं जबकि अभी तक इस काम के लिए ईपीएफओ से मंजूरी लेनी होती थी।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े अंशधारकों की सुविधा के लिए उन सभी शर्तों एवं मंजूरियों की जरूरत को हटाया जा रहा है जो गैर जरूरी हैं। गौरतलब है कि ईपीएफओ मौजूदा नियमों में बदलाव करके भविष्य निधि कोष की निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

नाबालिग की दावा प्रक्रिया को सरल बनाया : इसी तरह से अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जैसके नाबालिग बच्चों के लिए दावे की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब अभिभावकों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। इससे भुगतान सीधे बच्चों के खातों में जाएगा। नाबालिग का खाता खुलवाने में ईपीएफओ कार्यालय को मदद करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

पीएफ खाते से निकासी में दिक्कत सबसे ज्यादा

ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ से निकासी में दिक्कत आती हैं क्योंकि कई बार केवाईसी अपडेट न होने, बैंक खाते का मिलान न होने और केवाईसी के तौर पर पूर्व में दी गई जानकारी के पुराने डेटा से मिलान न होने पर समस्या होती है। कई बार आधार और यूएएन की जानकारी मेल नहीं खाती है. ऐसी स्थिति में संयुक्त घोषणा पत्र की प्रक्रिया को सरल किया गया है। नियोक्ता अब ऑनलाइन ही संयुक्त घोषणा पत्र के जरिए नाम, लिंग और जन्म तिथि का सुधार कर सकता है। केवाईसी बैंक खाता अपडेट से लेकर अन्य प्रावधानों में गैर जरूरी नियमों को हटाकर प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

जल्द मिलेगी एटीएम से निकासी की सुविधा: मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि ईपीएफओ सदस्य जरूरत पड़ने पर बिना किसी कागजी कार्रवाई के एक निर्धारित धनराशि तक निकासी कर सकें, इसको लेकर काम चल रहा है। ईपीएफओ 3.0 को लेकर एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है जो सदस्यों को बेहतर और तेज सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सदस्य अपने पीएफ खातों से सीधे एटीएम या यूपीआई के माध्यम से पैसे निकाल सकेंगे। ईपीएफओ 3.0 में ऑनलाइन दावा निपटान, ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खातों को अपडेट करते जैसी सुविधाएं भी बेहतर होंगी। बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के आखिरी मॉडल पर काम चल रहा है, जिसकी टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईपीएफओ 3.0 को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद एटीएम से धनराशि निकासी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में आसान होगा व्यापार, श्रमिक हित भी होंगे सुरक्षित

औद्योगिक एवं श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार उद्योग व व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों के लगभग 99% आपराधिक प्रविधान जल्द समाप्त करने जा रही है। इसके लिए सुगम्य व्यापार (प्रविधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक से न सिर्फ व्यापार करना आसान होगा बल्कि श्रमिक हित भी सुरक्षित रहेंगे। विधेयक के लागू होने पर देश में उप्र पहला राज्य होगा जहां व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से इतने पैमाने पर आपराधिक प्रविधान, गैर-आपराधिक श्रेणी में परिवर्तित होंगे ।

- **मुख्यमंत्री ने सुगम्य व्यापार विधेयक-2025 को जल्द लागू करने के दिए निर्देश**
- **विधेयक के लागू होने पर 13 राज्य अधिनियमों के 99 प्रतिशत आपराधिक कानून होंगे समाप्त**

प्रस्तावित विधेयक को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंज आफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री के 'श्रमेव जयते' के भाव को आत्मसात करते हुए हमें उद्यमियों और श्रमिकों के लिए लाभकारी सुधार करने होंगे। प्रस्तावित विधेयक के तहत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम तथा क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। इनमें जहां पहले कारावास की सजा का प्रविधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई करने की योजना है। नए प्रविधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

अनावश्यक दंडात्मक प्रविधानों को समाप्त कर, उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना समय की मांग है। सीएम को बताया कि विधेयक पर संबंधित 14 विभागों से राय ली गई है। अधिकांश विभाग सहमत हैं, जबकि कुछ ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर विधेयक को उद्योग व श्रमिकों के हितों में संतुलित बनाया जाए। बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चचर्चा हुई। प्रस्तावों में फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं क अधिक अवसर उपलब्ध कराने जै कदम शामिल हैं। सीएम कह कि निरीक्षण व्यवस्था में लाने के लिए स्व-सत्या थर्ड पार्टी आडिट प्रणाली जाए। सुधारों की श्रृंखला में 'निय मित्र 3.0' पर भी विचार-विमर करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों के आवेदन व अनुमोदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुगम बनाने को कहा। कामन अप्लिकेशन फार्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और एआइ चैटबाट जैसी सुविधाएं जोड़ने के निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और निवेशकों को शिकायतों का त्वहित समाधान सुनिश्चित हो। निवेश मित्र पोर्टल का नया संस्करण शीघ्र जी लांच किया जाए, जिससे ईज आफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी

गांवों में औद्योगिक नक्शा उद्योग विभाग मंजूर करेगा

❑ शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण ही पास करेंगे

❑ कैबिनेट से जल्द पास होगा इसके लिए प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए नक्शा पास करने को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप होने जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा नक्शा पास किया जाएगा। इसे लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन सबसे अधिक समस्या नक्शा पास करने को लेकर आ रही है। शहरी क्षेत्रों में तो तय व्यवस्था के आधार पर विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शाए किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद है। जिला पंचायतें और विस्तारित क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण नक्शा पास करने पर आपत्ति करते हैं। उच्च स्तर पर इसको लेकर पिछले दिनों बैठक हुई थी। इसमें उद्योग विभाग के साथ आवास विभाग और पंचायती राज विभाग को बुलाया गया था। इसमें उद्योग विभाग द्वारा प्रस्ताव रखा गया। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक आस्थानों को यूपीसी की धारा-6 के अनुसार नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त एवं निदेशक को निगा जाए।

UPI transactions up 3% in August to 20 bn as festive demand lifts usage

Unified Payments Interface (UPI) transactions soared past 20.01 billion-mark with a 3 per cent rise from 19.47 billion registered in July, reflecting increased economic activity some of which can be attributed to the onset of festival season.

However, in terms of value, transactions were down marginally by 1 per cent to 24.85 trillion during the month versus 25.08 trillion in July, said the National Payments Corporation of India.

As many as 18.4 billion transactions worth 24.04 trillion took place in June.

The beginning of the festival season and increase in consumption reflect in the growth of UPI volumes over July. The drive and penetration of UPI as the primary digital payment option continue to drive adoption and continuous overall growth," chief delivery and operations officer India, Worldline.

During the month under review, daily transactions increased to 645 million against 628 million in July. In value terms, this came down to 80,177 crore compared to 80,919 crore last month. August UPI numbers were 34 per cent up in volume and 21 per cent in value compared to the same time last year.

Immediate Payment Service (IMPS) for the month was down 6 per cent to 5.98 trillion as against 6.31 trillion in July. In volume too, it witnessed a 2 per cent decline to 477 million in August as against 488 million the previous month. The number of daily transactions dipped from 15.55 million to 15.50 million, leading to a 5 per cent dip in daily value to 19,276 crore.

GST 2.0 new rates announced: Govt plans two-slab tax regime – what gets cheaper and what gets costlier

About 30 cancer medicines are likely to be made entirely tax-free, along with certain life-saving drugs for rare diseases. Medical-grade oxygen, iodine, and potassium iodate may also see a tax cut from 12 per cent to 5 per cent.

GST reform: The central government is preparing for one of the most significant reforms in the Goods and Services Tax (GST) regime since its launch in 2017. the Group of Ministers (GoM) on rate rationalisation is likely to table proposals aimed at reducing the number of tax slabs and shifting towards a simpler two-rate system of 5 per cent and 18 per cent.

Drugs and cancer medicines likely to get cheaper

The reform proposals put healthcare at the forefront. All drugs and medicines currently taxed at 12 per cent are expected to be moved to the 5 per cent bracket, significantly easing the cost burden for patients.

In addition, about 30 cancer medicines are likely to be made entirely tax-free, along with certain life-saving drugs for rare diseases. Medical-grade oxygen, iodine, and potassium iodate may also see a tax cut from 12 per cent to 5 percent.

At present, India's GST is structured under four main slabs—5 per cent, 12 per cent, 18 per cent, and 28 per cent, in addition to exemptions and cess on specific items. Under the new proposal, most goods would be taxed either at 5 per cent or 18 per cent, drastically reducing complexity.

According to the proposal, GST on economy cinema tickets has been reduced to 5% from the current 12%, while premium air tickets will now attract 18% GST, up from 12% at present.

Daily-use items to get cheaper

Durables such as washing machines, air conditioners and refrigerators are among the items that could benefit from lower rates. By reducing tax incidence on commonly used items, the Centre hopes to boost consumption and improve compliance.

The proposed GST rate rationalisation is set to make a wide range of essentials more affordable. Agriculture and allied sectors will benefit as fertiliser acids, bio-pesticides, micronutrients, drip irrigation systems, tractors and their parts move from 12–18% GST to just 5%. Renewable energy devices such as solar cookers and water heaters will also see lower taxes.

Textiles and handicrafts, including synthetic yarns, carpets, handicraft idols, terracotta tableware, and footwear priced below Rs 2,500, will attract only 5% GST. Everyday education supplies like maps, atlases, sharpeners, pencils, crayons, exercise books, and geometry boxes will also become cheaper.

Healthcare receives the biggest relief: all medicines drop to 5%, over 30 cancer and rare-disease drugs go tax-free, while surgical instruments, oxygen, gloves, and diagnostic kits will be taxed at just 5%.

Food items such as butter, ghee, dry fruits, confectionery, juices, ice cream, cereals and even packed drinking water will also see reduced GST, easing household budgets.

New GST report to counter Trump tariff

According to BMI, a Fitch Solutions company, the proposed changes could help offset the potential drag from external shocks such as the 50 per cent tariffs announced by the United States on Indian goods. By lowering tax rates on "common man items," the reforms are expected to stimulate domestic demand and strengthen resilience in the face of global trade challenges.

Employment in industries rises 5.92 pc to 1.84 cr in FY24: Govt survey

Employment in industries increased by 5.92 per cent to 1.95 crore in 2023-24 from 1.84 crore in 2022-23, according to the latest Annual Survey of Industries (ASI). The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has released the results of the Annual Survey of Industries (ASI) for the reference period -- April 2023 to March 2024 -- (i.e. financial year 2023-24) referred to as ASI 2023-24 in a press note.The field work for this survey was carried out from October 2024 to June 2025 for ASI 2023-24.

The invested capital in the industries rose to Rs 68,01,329 crore in 2023-24 from Rs 61,39,212 crore in 2022-23, as per the report for 2023-24. The data also showed that the Gross Value Added in the industries increased by 11.9 per cent to Rs 24,58,336 crore in the fiscal under review from Rs 21,97,056 crore in the preceding fiscal.

The GVA is defined as the additional value created by the process of production. This is calculated by deducting the value of total input from total output. The Annual Survey of Industries is conducted with the primary objective to provide a meaningful insight into the dynamics of change in the composition, growth and structure of various manufacturing industries in terms of output, value added, employment, capital formation and a host of other parameters.

It stated that industries added more than half a crore (57 lakh) jobs during the last decade, 2014-15 to 2023-24. The top 5 industries with respect to GVA are basic metals, motor vehicles, chemical and chemical products, food and pharmaceutical products. Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh and Karnataka are the top five states in respect of employment. It provides valuable input to the National Accounts Statistics at the national and state levels.

The ASI broadly covers factories, Bidi and cigar manufacturing establishments, electricity utilities, and units with 100 or more employees registered in the Business Register of Establishments prepared and maintained by the state governments.

Goods exports to China rise 20% to $5.8 billion during April-July

India's goods exports to China in the first four months of FY26 rose 20% year on year at $5.76 billion, or about 50,112 crore, with each month recording higher shipment than a year earlier, official data showed. The trend reinforces the sustained growth trajectory of India's exports to China despite global trade uncertainties, the person added.

Exports in April rose to $1.39 billion from $1.25 billion a year earlier, while in June, they were 17% higher on year at $1.38 billion. In July, India shipped $1.35 billion worth of goods to China, against $1.06 billion in July 2024. The steady growth in exports also signals a gradual rebalancing of trade between the two Asian economies, where India has traditionally faced a large trade deficit. India's trade deficit with China was $99.2 billion in FY25. As per the data, India's export growth to China in April-June 2025 was powered by a strong performance across energy, electronics, and agri-based products. Petroleum products exports nearly doubled to $883 million while electronic goods surged more than threefold to $521 million, reflecting strong demand from China's industrial and consumer segments. Organic and inorganic chemicals exports rose 16.3% at $335.1 million while a 72.7% rise was seen in gems and jewellery exports. New Delhi's top imports from Beijing are pharmaceuticals, electronics and semiconductors, machinery, industrial goods, chemicals and plastics.

Govt To Launch MSE TEAM Initiative To Boost MSME E-Commerce Integration

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is rolling out the MSE TEAM (Trade Enablement and Marketing) initiative, a sub-scheme under the World Bank-supported Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) programme.

The initiative aims to equip Micro and Small Enterprises (MSEs) with digital tools and guidance to leverage e-commerce platforms.

Minister of State for MSME shared this information in a written reply to the Rajya Sabha.

The initiative seeks to integrate MSEs with the Open Network for Digital Commerce (ONDC) to help widen their customer base and increase revenue.

Beneficiaries will receive assistance in areas such as onboarding, digital cataloguing, account management, transport and logistics, and packaging, alongside training and capacity-building support.

Under the plan, 5 lakh MSEs are expected to benefit, with half of them being women-owned enterprises. Special outreach activities are being planned in Tier-2 and Tier-3 cities to drive participation.

The ministry is also promoting other marketing and trade platforms.

The eKhadi India portal offers Khadi and Village Industries products—including apparel, groceries, cosmetics, home décor, health and wellness items—directly from artisans, weavers, and small enterprises.

Integrated with the Government e-Marketplace (GeM), the portal features only authentic Khadi Trade Mark products.

Similarly, the MSME Global Mart, operated by the National Small Industries Corporation (NSIC), serves as a B2B online marketplace connecting MSMEs with domestic and global buyers, offering marketing support, visibility enhancement, trade leads, and tender information.

The Procurement and Marketing Support (PMS) scheme further facilitates market access by enabling MSMEs to participate in trade fairs, exhibitions, and buyer-seller meets, while supporting micro-enterprises with financial assistance for onboarding on the MSME Global Mart and related subscription costs.

GeM itself serves as a unified government procurement platform offering e-bidding, reverse auctions, and other tools to improve transparency, efficiency, and speed in public procurement.

India’s GDP seen to have grown at about 6.5% in Q1FY26

The economy is seen to have grown at 6.5% or a notch higher in the first quarter of the fiscal year, slowing down from the fourth quarter of FY25 amidst muted demand and uncertainty over tariffs by the US.

Robust government capital expenditure and front loading of exports are seen to have boosted GDP growth in the first quarter of the fiscal and healthy rains are seen to lift up rural demand going forward but analysts warn that growth could taper off in the coming quarters as the full impact of the US tariffs come into play.

The economy grew by 6.5% in the April to June quarter of FY25 and by 7.4% in the fourth quarter of last fiscal. Most experts see growth in the first quarter of FY26 at between 6.5% and 7% but expect growth in gross value added (GVA) to be lower. Official quarterly GDP estimates for the quarter April-June of FY26 will be released on August 29. ICRA has projected the year-on-year (YoY) GDP expansion to ease to 6.7% in the first quarter of the fiscal year, outpacing the Monetary Policy Committee’s recent forecast of 6.5%.

It has projected growth in GVA to ease to 6.4% in the first quarter of the fiscal from 6.8% in the last quarter of FY25.

Chief Economist, Head-Research and Outreach, ICRA, said, "India's investment activity held up in Q1 FY2026, boosted by the front-loading of Government capex, although this admittedly came on a low base, amidst the heightened uncertainty owing to geopolitical tensions and tariff-related developments."

SBI Ecowrap has pegged GDP growth at 6.8% to 7% in the first quarter of the fiscal year. DBS Bank has pegged GDP growth at 6.5% in the first quarter of the fiscal with GVA growth at 6.3%. "Bulk of the support will show in the strong pick-up in government spending after an election-related slowdown in the previous year, accompanied by steady service sector output, project completions, rural demand in anticipation of a good monsoon, and better farm production. Industrial output moderated in this period. Deceleration in inflation was likely supportive of real purchasing power, though weaker growth in personal loans, and delayed transmission to borrowing costs besides industry-specific soft spots point to a modest pick-up in urban demand," said Executive Director and Senior Economist at DBS Bank. With external trade set to be impacted by tariff-led headwinds, domestic anchors will uphold growth in the coming quarters," she warned

US Tariffs From August 27 Threaten 70% Collapse In India's Labour-Intensive Exports: GTRI

India's labour-intensive export sectors face a potential collapse of up to 70 percent as steep US tariffs are set to take effect from August 27, according to a report by the Global Trade Research Initiative (GTRI).

The US Customs Department published the draft tariff schedule, signalling major disruptions for Indian exporters. The GTRI report said that 66 percent of India's exports to the US — worth USD 60.2 billion of the total USD 86.5 billion — will face duties of 50 percent or higher.

Only about 30 percent of shipments (USD 27.6 billion) will remain duty-free, largely in pharmaceuticals, APIs, and electronics, with medicines alone accounting for over half of the exempted exports.

The hardest hit are expected to be labour-intensive industries that employ millions across India. Shrimp exports worth USD 2.4 billion, which account for 32 percent of India's US market share, will now attract a 60 percent tariff, placing aquaculture hubs in Visakhapatnam under severe strain.

The gems and jewellery sector, with exports of USD 10 billion and a 40 percent US market share, faces tariffs of 52.1 percent, threatening jobs in Surat and Mumbai.

Similarly, textiles and apparel exports worth USD 10.8 billion will be subjected to duties of 63.9 percent, putting immense pressure on manufacturing hubs in Tirupur, NCR, and Bengaluru.

Exports of carpets (USD 1.2 billion) and handicrafts (USD 1.6 billion) are also expected to face near-collapse, with countries such as Turkey and Vietnam positioned to take over India's lost market share. In addition, agrifood exports worth USD 6 billion — including basmati rice, spices, and tea — will be struck by tariffs of 50 percent, potentially boosting competitors like Pakistan and Thailand.

Exports of steel, aluminium, and copper (USD 4.7 billion) as well as organic chemicals (USD 2.7 billion) will also face levies above 50 percent, creating further challenges for MSMEs.

To counter the impact, GTRI has suggested a series of measures, including tax reforms, ease-of-business initiatives, and a Rs 15,000 crore interest equalisation scheme to support MSME exporters. It has also proposed targeted credit lines and wage support for shrimp, apparel, jewellery, and carpet clusters. Strengthening export refund schemes such as RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Export Products) and RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies for textiles and apparel) was also recommended to reduce costs and safeguard competitiveness.

The report further urged the government to accelerate market diversification through trade missions to the EU, Gulf, and East Asia, while developing 'India+1 export hubs' in the UAE, Mexico, and Africa to help bypass US tariff barriers.